कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–राजनीति विज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक 11.06.2017 द्वारा प्रार्थी श्री सुरेश कुमार स्वामी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान क्र.स. 301(BC) रोल न. 402514 मेरिट क्रमांक 544 को चयनोपरान्त राउमावि डारी, पाली पदस्थापित किया गया था, किन्तु प्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजगढ में एक आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने के कारण इन्हें कार्यग्रहण करने की नियमानुसार अनुमति प्रदान नहीं की गई।

कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर कार्यालय के आदेशांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/नियुक्ति–रावि/आरपीएससी–15/2017 दिनांक 31.10.2017 द्वारा कुल 174 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निरस्त किये गये थे। जिसमें प्रार्थी श्री सुरेश कुमार स्वामी क्रम संख्या 37 के भी निरस्त आदेश शामिल था।

उक्त आदेश के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी श्री सुरेश कुमार स्वामी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11117/17 सुरेश कुमार बनाम सरकार दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2019 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को विभाग द्वारा याचिकार्थी के संबंध में उसके चयन निरस्त आदेश दिनांक 31.10.2017 पर पुनर्विचार किये जाने को निर्देशित किया गया।

याचि श्री सुरेश कुमार स्वामी ने प्रार्थना पत्र अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी माताजी के निधन हो जाने, पिता के अत्यधिक वृद्ध होने एवं अपनी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन राउमावि नेशल, राजगढ, चूरू अथवा राउमावि राजगढ, चूरू में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं याची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया। याची को व्याख्याता राजनीति विज्ञान (ओबीसी) के पद पर दिनांक 11.06.2017 को राउमावि डारी, पाली में नियुक्ति दी गई। नियुक्ति की शर्तानुसार पुलिस सत्यापन आवश्यक था। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के द्वारा श्री स्वामी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण धारा 323, 325, 341 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे से अवगत करवाया गया। तत्समय श्री सुरेश कुमार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। शिक्षक जैसे गरिमामय पद हेतु सदाचरण व्यक्तित्व जरूरी है। उक्त पद के विरूद्ध आरपीएससी अजमेर द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2015 के रिशफल परिणाम में नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अतः श्री सुरेश कुमार स्वामी का अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/सुरेश/को.के./2018 — दिनांक– 22/07/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

12 शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
13 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
14 सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15 संबधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..............................।
16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी...................।
17 कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
18 संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/राबाउमावि को प्रेषित।
19 संबंधित आशार्थी.............................. ।
20 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/oac प्रभाग कार्यालय हाजा।
21 संयुक्त विधि परामर्शी कार्यालया हाजा।
22 निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)